Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

सुरेन्द्र कुमार पुत्र चानणदास जाति अरोडा निवासी वार्ड न. 7 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़

बनाम

सतपाल पुत्र नत्थुराम जाति अग्रवाल निवासी मानसा जिला बठिण्डा (पंजाब) आदि

किस्म मुकदमाः—निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम प्र0स0ः—70/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हए
17.02.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील निगरानीकर्ता तथा वकील गैरनिगरानी संख्या 2 हाजिर। वकील गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ने स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना कमांक प. 8 (ग) ( ) नियम/डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.6.2016 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि धारा 73 के अधीन सम्पति के अन्तरण और संविधा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का निस्तारण करने हेतु सम्भागीय आयुक्त को प्राधिकृत किया गया है। हस्तगत निगरानी नगरपालिका अनूपगढ़ के पट्टा संख्या 154 मिसल संख्या 146 दिनांक 06.02.1959 के विरूद्व पेश की गई है जबकि नगरपालिका अनूपगढ़ के आदेश के विरूद्व सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय संभागीय आयुक्त बीकानेर को है। अतः हस्तगत निगरानी इसी स्तर पर ही खारिज की जावे। हमने पत्रावली का गहनता से अलवोकन किया। निगरानीकर्ता द्वारा हस्तगत निगरानी नगरपालिका अनूपगढ़ के पट्टा संख्या 154 मिसल संख्या 146 दिनांक 06.02.1959 के विरूद्व पेश की है, जिसकी सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः हस्तगत निगरानी क्षेत्राधिकार विहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निगरानीकर्ता सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अरविन्द कुमार जाखड़) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.03.20 12:26:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner